सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20

सामाजिक अंकेक्षण केवल एक प्रक्रिया ही नहीं
बल्कि जवाबदेह शासन की प्रतिबद्धता है।

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

राजस्थान

E-mail: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in, Tel. : 0141-2227033 / 2227725

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2019-20

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी

राजस्थान, जयपुर

E-mail: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in, Tel. : 0141-2227033 / 2227725

सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री
राजस्थान

मुम./संदेश/ओएसडीएफ/2020
जयपुर, 15 अक्टूबर, 2020

संदेश

मुझे यह जानकार प्रसन्नता है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की ओर से वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन–2019–20 का प्रकाशन करवाया जा रहा है।

किसी भी राजकीय परियोजना के क्रियाकलापों का लोकहित में पारदर्शी एवं जवाबदेही होना अत्यन्त आवश्यक है और सामाजिक अंकेक्षण इसका सशक्त माध्यम है। इससे आमजन, शिक्षित युवा एवं अन्य सामाजिक सक्रियजन को अपने अधिकारों के तहत सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है।

वर्ष 2005 में केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा समान न्यूनतम कार्यक्रम के तहत मनरेगा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इससे देश एवं प्रदेश के गरीब ग्रामीण, साधनहीन और विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गारंटी के साथ रोजगार मिलने से सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण मिला। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक महत्त्व के अधिक से अधिक कार्य होने लगे।

आशा है सोसायटी के प्रतिवेदन से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं 14वें वित्त आयोग के कार्यों का पारदर्शिता के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी मिल सकेगी।

मैं इस वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन–2019–20 के प्रकाशन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कता हूँ।

अशोक गहलोत

Niranjan Arya, I.A.S.
निरंजन आर्य, आई.ए.एस.

सत्यमेव जयते

Chief Secretary
मुख्य सचिव
Government of Rajasthan
राजस्थान सरकार

सह अध्यक्ष, शासी निकाय (G.B.)
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

शुभकामना संदेश

अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की ओर से वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2019–20 का प्रकाशन करवाया जा रहा है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक महत्त्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण भी है, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, 2005 की धारा 17 (2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य रूप से करवाये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत मंत्रीमण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11 (8)/ग्रावि/नरेगा/सिविल सोसायटी / सा.अंके./2015 दिनांक 09.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी. 49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 की पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) नामक स्वतंत्र सोसायटी का गठन किया जाकर इसका पंजीकरण राजस्थान पंजीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 से करवाया गया है।

इस सोसायटी के द्वारा ना केवल महात्मा गाँधी नरेगा योजना के प्रावधानों की बेहतर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) तथा चौदहवें वित्त आयोग (FFC) के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों/देय लाभों के सामाजिक अंकेक्षण का समावेश भी इसमें कराया जा रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन हेतु पूर्ण भागीदारी निभाते हुए योजनाओं की सही मायनों में सफलता सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगी।

शुभेच्छु

निरंजन आर्य

रोहित कुमार सिंह
आई.ए.एस.

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान सरकार

सह अध्यक्ष (E.C.)
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

सत्यमेव जयते

शुभकामना संदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के नियमों एवं विनियमों (Rules & Regulations) के बिन्दु संख्या 21 के अनुसरण में वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2019–20 का प्रकाशन करवाया जा रहा है।

जब से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू हुए हैं, तब से ही ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा खण्ड के अधीन सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण संपादित किया जाता रहा है।

केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों की पालना में मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2009 द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) नामक स्वतंत्र सोसायटी का गठन किया गया है। इस सोसायटी के कार्य संचालन के लिए मंत्रीमण्डल द्वारा इस सोसायटी के नियमों एवं विनियमों (Rules & Regulations) का भी अनुमोदन किया गया है, जिनका प्रकाशन राज्य के साधारण गजट में दिनांक 9.09.2019 को करवाया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण कार्य के महत्व को देखते हुए इस सोसायटी की वित्तीय स्वतंत्रता बनाये रखने हेतु भारत सरकार द्वारा बैंक खाते में धनराशि उपलब्ध कराये जाने एवं इसका प्रशासनिक मुखिया (Administrative Head) श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान को बनाया गया है।

वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गाँधी नरेगा योजना के साथ–साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G), स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) तथा चौदहवें वित्त आयोग (FFC) के अन्तर्गत कार्यों/देय लाभों के सामाजिक अंकेक्षण का समावेश भी करवाया जा रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन में पूर्ण भागीदारी प्रदान कर योजनाओं को सफलता प्रदान करेगी।

इस सोसायटी एवं इससे जुड़े हुए विभागों के सभी कर्मचारियों व अधिकारयों को इस प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देते हुए आशा करता हूँ कि सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल संचालन में सहयोगी बनेगी।

शुभेच्छु

(रोहित कुमार सिंह)

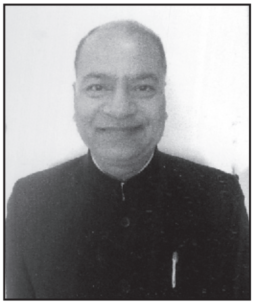

सामाजिक अंकेक्षण–निर्बल का बल

ग्रामोत्थान का सपना संजोकर लागू की गई पंचायतीराज व्यवस्था को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने आज जिस प्रकार मजबूती प्रदान की है उसकी बानगी राजस्थान के गाँवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है जो ग्रामोत्थान व गरीबोत्थान की कहानी कह रहे हैं।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना का एक महत्त्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 (2) के अनुसार राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में दो बार करवाना अनिवार्य किया गया है।

महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम 2005 एवं महात्मा गाँधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिये राजस्थान में राज्य स्तर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतन्त्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई ''सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)'' राजस्थान का गठन किया गया जिसका पंजीयन राजस्थान सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत करवाया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वायत्तता और शुद्धता सभी हित धारकों (Stake Holders) द्वारा बनायी रखी जावे। सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन शासी निकाय (Governing Body) के मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देशन में श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में हो रहा है एवं दैनिक कार्य संचालन श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति के निर्देशन में हो रहा है।

सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन/नियुक्ति सम्बन्धी कार्य सोसायटी द्वारा अनुमोदित नियमानुसार किया जावेगा।

सामाजिक अंकेक्षण से कम पढ़े लिखें ग्रामीण व्यक्तियों एवं ग्रामीण युवाओं को महात्मा गाँधी नरेगा (MG NREGA) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (PMAY-G) , स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (SBM-G), राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना (NSAP) तथा चौदहवें वित्त आयोग (FFC) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजनाओं से सम्बन्धित रिकार्ड तथा लेखों की जाँच पड़ताल की सुविधा मिल सकेगी जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आयेगी तथा धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और गाँवों के विकास में मदद मिलेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सामाजिक अंकेक्षण से पंचायतीराज तंत्र की सक्रियता और मजबूती विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास के लिये रामबाण औषधि साबित होगी तथा सामाजिक अंकेक्षण ''निर्बल के बल'' के रूप में स्थापित होगी।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन	1
3.	सोसायटी के उद्देश्य	1
4.	सोसायटी की संरचना	2-5
5.	सोसायटी एक स्वतंत्र इकाई	5
6.	सोसायटी की जिम्मेदारियाँ	6
7.	सोसायटी के महत्त्वपूर्ण कार्य	6-8
8.	लेखे एवं अंकेक्षण	8-9
9.	परिशिष्ट-1 : मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 27 जून 2019	10
10.	परिशिष्ट-2 : सोसायटी का पंजीयन प्रमाण-पत्र	10

1. प्रस्तावना :–

महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) में ग्राम सभा द्वारा योजनान्तर्गत करवाए गए कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु पिछली कमियों में सुधार करते हुए सामाजिक अंकेक्षण को और प्रभावी बनाने के विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे हैं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 एवं महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 की भावना के अनुरूप प्रभावी सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया हुआ था। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, संसाधन व्यक्तियों का चयन, प्रशिक्षण एवं अभिनियोजन सुनिश्चित कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उनका फॉलोअप करना आदि कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक के सहयोग से संपादित किए जा रहे थे। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई– सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का गठन किया गया है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की बेहत्तर पालना की जा सकेगी, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा। साथ ही वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा योजना, एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) तथा चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है।

2. सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)** का गठनः–

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक M-13015/2012/MGNREGA-Vii/pt. दिनांक 11.08.2014 में प्रदत्त निर्देशानुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मंत्री मण्डलीय ज्ञापन संख्या एफ11(8)/ग्रा.वि./नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके./2015 दिनांक 19.06.2019 पर हुए मंत्रीमण्डलीय आज्ञा क्रमांक डी.49/मं.मं./2019 दिनांक 27.06.2019 (परिशिष्ट–1) पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के गठन का अनुमोदन किया गया। इसकी पालना में सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) का पंजीकरण राजस्थान पंजीयन अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अन्तर्गत करवाया गया जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2019/Jaipur/104900 दिनांक 20.08.2019 है। (परिशिष्ठ–2) सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की विधिवत अधिसूचना राजस्थान राजपत्र साधारण दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित की गई है।

3. सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)** के उद्देश्य (**Objectives**) :–

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)** के उद्देश्य राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत और प्रक्रिया गहन रूप से प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना है ताकि सामाजिक

अंकेक्षण राज्य में शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जायें। सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)** यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वायत्तता और शुद्धता सभी स्टेक होल्डरों द्वारा बनायी रखी जावें ।

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)** के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार है :–

i. राजस्थान में निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना

ii. सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी **(SSAAT)** यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया मुख्यधारा सरकारी प्रशासन और कार्यान्वयन एजेन्सी से हर समय स्वायत्ता बनी रहे।

iii. महात्मा गांधी नरेगा और अन्य सरकारी कार्यक्रमों और राजस्थान में ग्रामीण लोगों को लाभ पहुँचाने वाली योजना के लिए सामाजिक अंकेक्षण जिम्मेदार होना।

vi. सरकारी कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए जमीनी स्तर (सिविल सोसायटी और नागरिक दोनों) का निर्माण करना।

v. सामाजिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संसाधन आधार बनाने के साथ–साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रक्रियाओं का विकास करना।

4. सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की संरचना (**Set up**):–

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक K-11033/50/2010-MGNREGS Pt. 2 दिनांक 11.03.2015 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के समस्त क्रियाकलापों का क्रियान्वयन एक शासी निकाय (Governing Body) के दिशा निर्देशन में होगा जिसका विवरण सोसायटी के नियम एवं विनियमों के बिन्दु संख्या 14,15 में वर्णित है।

(क) शासी निकाय (**G.B.**):–

शासी निकाय (G.B.) में रखे गए पदाधिकारी/सदस्यगण का विवरण निम्नानुसार हैः–

S No.	Name of Post	Designation
1	श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	अध्यक्ष
2	श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि.	उपाध्यक्ष
3	सचिव, वित्त (बजट) विभाग	सदस्य
4	प्रधान महालेखाकार, राजस्थान	सदस्य
5	सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान	सदस्य
6	आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान	सदस्य
7	सचिव/विशिष्ट सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान	सदस्य सचिव
8	आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना	सदस्य
9	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

10	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य
11	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य
12	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य
13	सिविल सोसायटी प्रतिनिधि	सदस्य

शासी निकाय (Governing Body) की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 26.11.2019 को श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में किया गया है।

(ख) कार्यकारी समिति (Executive Committee):-

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) के नियमित कार्य संचालन हेतु उपयुक्त निर्णय करने के लिये एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है, जिसका विवरण सोसायटी के नियम एवं विनियमों के बिन्दु संख्या 16,17 में है।

कार्यकारी समिति (Executive Committee) में रखे गए पदाधिकारी/सदस्यगण का विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	अति. मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पं.राज विभाग राजस्थान	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, वित्त (बजट)	सदस्य
3.	शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग	सदस्य
4.	आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान	उपाध्यक्ष
6.	आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा, राजस्थान	सदस्य
7.	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य सचिव
9.	उप निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य
10.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
11.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
12.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
13.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
14.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
15.	राज्य संसाधन व्यक्ति	सदस्य
16.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य
18.	सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि	सदस्य

प्रधान महालेखाकार, राजस्थान द्वारा शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 में किये गये आग्रह के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय के आई.डी. क्रं. एफ 20000384 दिनांक 25.02.2020 की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 7322 दिनांक 02.03.2020 द्वारा कार्यकारी समिति की सदस्यता से इन्हें मुक्त किया गया।

कार्यकारी समिति (Executive Committee) की प्रथम बैठक का आयोजन श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की अध्यक्षता में दिनांक 24.02.2020 को किया जा चुका है।

प्रशासनिक संरचना मय स्वीकृत मानव संसाधन

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में निम्नांकित अधिकारियों / कर्मचारियों / सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ / संसाधन व्यक्तियों का प्रावधान रखा गया है:–

शासी निकाय
पदेन अध्यक्ष, मुख्य सचिव, राजस्थान
पदाधिकारी एवं सदस्यगण

↓

कार्यकारी समिति

↓

पदेन अध्यक्ष अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पदाधिकारी एवं सदस्यगण

↓

निदेशक (1)

↓

उपनिदेशक (1)

↓

लेखाधिकारी (2)
सहा. लेखाधिकारी-I (4)
सहा. लेखाधिकारी-II (8)
क. लेखाकार (4)

सहा. प्रशासनिक अधिकारी (1)
कनिष्ठ सहायक (2)
सहा. कर्मचारी (4)

प्रोग्रामर (1)
सूचना-सहायक (1)

निजि सचिव (1)
निजी सहायक/स्टेनो (1)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ (1)
|
राज्य संसाधन व्यक्ति (6)
|
जिला संसाधन व्यक्ति (99)
|
ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (1649)
|
ग्राम संसाधन व्यक्ति (29500)

सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संख्या पर सहमति एवं उनके चयन /नियुक्ति के लिये पत्रावली वित्त विभाग, राजस्थान सरकार में विचाराधीन होने से अग्रिम कार्यवाही प्राप्त होने वाली स्वीकृति के अनुसार ही की जा सकेगी।

5. सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) एक स्वतंत्र इकाई :–

सामाजिक लेखा परीक्षा ,जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को एक स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई के रूप में स्थापित किया गया है और उसके उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु स्वतंत्र व्यवस्थाएँ कायम की गई हैं जो सोसायटी के नियम एवं विनियमों के बिन्दु सं. 7 में वर्णित है।

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) को योजनाओं के क्रियान्वयन विभागों (Implementing Departments) से पृथक कर एक स्वत्रंत इकाई के रूप में श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष शासी निकाय (G.B.) के नियमांकित किया गया है। पूर्व में कार्यरत निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग जो महात्मा गाँधी नरेगा के अंग के रूप में कार्यरत था, को इस सोसायटी के गठन के साथ ही आदेश क्रमांक F61(24) SSAAT/ संस्थापन/2019–20/7245 दिनांक 20.02.2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। साथ ही वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019–20 के अध्याय 10 (बिन्दु सं. 10.1.6.1.) के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त प्रशासनिक व्यय मद में से 0.05% तक राशि उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि सोसायटी के स्वतंत्र बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था की गई हैं।

वर्ष 2019–20 के प्रारम्भ में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में महात्मा गाँधी नरेगा योजना, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F21(39)/ग्रावि/ नरेगा/फण्ड /2019–20 /पार्ट 2 दि. 07.01.2020 द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) को राशि रू. 35.00 (पैंतीस) लाख मात्र प्रदान किये गये और ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No.M-11015/57/2019-MNREGA (RE-III) (369892) S.I. NO. 19 दिनांक .28.01.2020 द्वारा राशि 13,51,33000/- (तेरह करोड़, इक्यावन लाख तैतीस हजार रू.) मात्र जारी किये गये है जो वित्त विभाग की स्वीकृति उपरान्त सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय, जयपुर शाखा के बैंक खाता संख्या 38872762396 में जमा कराये गये है।

यह भी प्रावधान किया गया है कि निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण एक पूर्ण कालिक राजस्थान लेखा सेवा (सुपर टाइम स्केल) के अधिकारी होंगे अथवा सामाजिक अंकेक्षण और जन अधिकार गतिविधियों के न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभवी सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ हो सकेंगे जो न्यूनतम अधि– स्नातक (Post Graduate) तक शिक्षित होंगे। यदि निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) राजकीय अधिकारी होगे तो उन्हें न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिये पूर्ण कालिक प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर लगाया जावेगा।

निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, सोसायटी के शासी निकाय (G.B) के प्रति उत्तरदायी होंगे और इसके लिये सामाजिक अंकेक्षण कार्यों के सम्पादन हेतु स्वतंत्र स्टाफ, संसाधन व्यक्तियों आदि की व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्रतापूर्वक हो सके यह सुनिश्चितता करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

6. सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) की जिम्मेदारियाँः–

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) की नियमों एवं विनियमों के अनुसार निम्न जिम्मेदारियाँ रहेंगी :–

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में नियमानुसार वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण करना
- Audit of Scheme Rules, 2011 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित करना
- वर्ष के प्रारम्भ में सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम जारी करना जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के नियमानुसार अंकेक्षण की अंतिम योजना सम्मिलित हो ।
- अंकेक्षकों के चयन, उनके क्षमता विकास (capacity building) एवं प्रशिक्षण और सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करना।
- सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था में निरन्तर सुधार करने हेतु राज्य में कार्यरत शैक्षणिक संस्थाओं एवं सिविल सोसायटी संगठनों में उपयुक्त सहयोगात्मक व्यवस्था स्थापित करना।
- राज्य में होने वाले सामाजिक कार्य की गुणवत्ता की निरन्तर समीक्षा हेतु उपयुक्त तंत्र/व्यवस्था स्थापित करना।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सम्पर्क रखते हुए सामाजिक अंकेक्षण कार्यालय का सहयोग प्राप्त कर सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था का सुदृढीकरण करना।
- राज्य में कार्यरत लोकपाल कार्यालयों के साथ सम्पर्क रखते हुए सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादन करना।
- आम जन की शिकायतों/अंकेक्षण अनियमितताओं पर समय बद्ध कार्यवाही कराने एवं दोषी लोगों पर प्रभावशाली रूप से दण्डात्मक कार्यवाही कराने हेतु राज्य सरकार को मशविरा प्रदान करना।

7. सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) में हुए महत्वपूर्ण कार्य –

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के नियम व विनियमों के राजपत्र दिनांक 19.09.2019 में प्रकाशित होने के उपरान्त इस नवीन सोसायटी के कार्यालय स्थापना एवं इसका विधिवत कार्यारम्भ किया गया। इस दिशा में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i. शासी निकाय की प्रथम बैठक–सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) की सर्वोच्च नियामक श्शासी निकायश (Governing Body) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 को श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार सह अध्यक्ष, शासी निकाय (G.B.), सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें

सोसायटी की भावी दशा एवं दिशा निर्धारित की गयी और सोसायटी की प्रशासनिक व्यवस्था संचालन हेतु कार्यकारी समिति (Executive Committee) को उपयुक्त दिशा निर्देश, शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation of power) किया गया ।

ii. कार्यकारी समिति (EC) की प्रथम बैठक–सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) का प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्प्र.वि. एवं प.रा. विभाग की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (EC) की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 24.02.2020 को किया गया। इसमें शासी निकाय (G.B.) की बैंठक में प्रदत्त अधिकारों एवं निर्देशों की पालना में विभिन्न निर्णय किये गये और सोसायटी के कार्य संचालन हेतु विभिन्न नियमों, विनियमों के ड्राफ्ट्स पर विचार विमर्श कर इनका विधिवत अनुमोदन किया गया।

iii. कार्यविधि नियमावली (Rules of Business)–शासी निकाय (G.B.) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) द्वारा तैयार कराये गये ड्राट कार्यविधि नियमावली (Rules of Business) पर गहन विचार विमर्श उपरान्त कार्यकारी समिति (EC) द्वारा अपनी प्रथम बैठक दिनांक 24.2.2020 में निर्णय सं 1.2 में इसका अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त निर्णय पर शुद्ध कार्यविधि नियमावली (Rules of Business) श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय (G.B.) के अनुमोदन अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F61(20) SSAAT/ Rules of Business/2019-20/7351-66 दिनांक 04.03.2020 द्वारा जारी किये गये। इनका प्रकाशन ग्रा. वि. विभाग, महात्मा गाँधी नरेगा एवं पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर भी कराया गया।

iv. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदेश–शासी निकाय (G.B.) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) द्वारा तैयार कराये गये ड्राफ्ट वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदेश (Schedule of Power - SOP) पर गहन विचार विमर्श उपरान्त कार्यकारी समिति (EC) द्वारा अपनी प्रथम बैठक दिनांक 24.2.2020 में निर्णय सं 1.3 में इसका अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त निर्णय पर शुद्ध वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदेश (Schedule of Power - SOP) श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय (G.B.) के अनुमोदन अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F61(20)SSAAT/ SOP/2020/7368-85 दिनांक 04.03.2020 द्वारा जारी किये गये। इनका प्रकाशन ग्रा. वि. विभाग, महात्मा गाँधी नरेगा एवं पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर भी कराया गया।

v. सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ एवं संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020–शासी निकाय (G.B.) की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2019 के निर्णय संख्या 1.5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक सामाजिक लेखा

परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) द्वारा तैयार कराये गये ड्राट सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ एवं संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम, 2020 पर गहन विचार विमर्श उपरान्त कार्यकारी समिति (EC) द्वारा अपनी प्रथम बैठक दिनांक 24.2.2020 में निर्णय सं 1.4 में इसका अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त निर्णय पर शुद्ध सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम, 2020 श्रीमान मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय (G.B.) के अनुमोदन अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F61(21)SSAAT/नियमावली/2019/7498-7514 दिनांक 12.03.2020 द्वारा जारी किये गये। इनका प्रकाशन ग्रा. वि. विभाग, महात्मा गाँधी नरेगा एवं पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर भी कराया गया।

vi. प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था स्थापित करना—सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के विधिवत गठन एवं शासी निकाय (G.B.) और कार्यकारी समिति (EC) में हुए निर्णयों की पालना में वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102000014 दिनांक 20.01.2020 के अनुसार निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण विभाग के समस्त पदों कों समाप्त करते हुए सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लिये अनुमत किये गये पदों की स्वीकृति आदेश क्रमांक F61(24)SSAAT/संस्थापन/2019-20/7245 दिनांक 20.02.2020 द्वारा जारी की गई।

वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन , जयपुर और आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, योजना भवन जयपुर को पत्र भेजकर विभिन्न पदों को काडर स्ट्रेंथ में सम्मिलित करने एवं उपयुक्त अधिकारियों के पदस्थापन का आग्रह किया गया।

कार्यालय की दैनिक गतिविधियों के संचालन एवं सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एव पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) को प्रदत्त जिम्मेदारियों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT) पूर्व में निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग की तर्ज पर ही (वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित करने में असमर्थता प्रकट करने पर) कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय सं. 1.5 द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। इसी प्रकार सोसायटी में स्वीकृत उप निदेशक को कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया एवं जब तक उप निदेशक पदस्थापित न हो तब तक सोसायटी में कार्यरत लेखाधिकारी को इन शक्तियों को प्रयोग में लेने के अधिकार दिये जाने और सोसायटी में एक सहायक लेखाधिकारी–I को आहरण– वितरण अधिकारी बनाये जाने का निर्णय भी कार्यकारी समिति (EC) की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के निर्णय सं. 1.5 में किया गया। इस बाबत विभागीय आदेश क्रमांक F61(5)SSAAT/fofo/k/2019/7413-20 दिनांक 04.03.2020 सक्षम अनुमोदन अनुसार जारी किये गये।

8. लेखे एवं अंकेक्षण (Accounts & Audit)

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 20 के अनुसार सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) के लेखे विधिवत रूप से संस्था के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाने है। इनका अंकेक्षण कार्यकारी समिति (EC) द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार (Charatered Accountant) द्वारा की जानी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा द्वितीय अंकेक्षण भी किया जा सकता है।

संस्था को प्राप्त होने वाली राशियाँ एक बैंक खाते में रखी जानी है। इस हेतु सोसायटी का भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, जयपुर में खाता सं 38872762396 मे संधारित है।

महात्मा गाँधी नरेगा योजना के आदेश क्रमांक F21(39)ग्रा.वि./नरेगा/ फण्ड/2019–20/पार्ट–2 जयपुर दिनांक 07.01.2020 द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) को राशि रू. 35 लाख में से वर्ष 2019–20 के दौरान कोई वेतन भत्तों, संसाधन व्यक्तियों आदि को मानदेय या सामाजिक अंकेक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाओं पर कोई भी व्यय नहीं हुआ।

केवल अत्यल्प राशि 51,318/– का व्यय सोसायटी के कार्यालय हेतु स्टेशनरी क्रय, चिकित्सा एवं टेलीफोन बिलों आदि हेतु किया गया है।

ग्रा. वि. मंत्रालय भारत सरकार के ग्रा. वि. एवं पं. राज विभाग की स्वी.ति क्रमांक ड-11015/57/2019 - MGNREGA (RE-III) (369892) Sl. no. 19 दिनांक 28.01.2020 द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर (SSAAT) को वर्ष 2019–20 की प्रथम किश्त के पेटे राशि रू. 1351.33 लाख आवंटित किया गया है। इस हेतु वित्त विभाग से बैंक खाते में राशि स्थानांतरण के प्रस्ताव 06.02.2020 को भेजे गये थे परन्तु वर्षान्त तक इसकी स्वीकृति प्राप्त न हो पाने से राशि राजकोष में ही पड़ी है।

चूंकि वर्ष 2019–20 में अत्यल्प राशि ही उपरोक्तानुसार तय हुई है जिसका लेखांकन कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा किया गया है। अतः अंकेक्षण कार्य सनदी लेखाकार से आगामी वर्ष 2020–21 के लेखों के साथ ही करवा लिया जावेगा।

सोसायटी के नियम, विनियमों के बिन्दु सं. 21 की पालना में वर्ष 2019–20 में हुई समस्त गतिविधियों, लेखों, आदि को समाहित करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजस्थान सरकार, भारत सरकार, सिविल सोसायटी संगठनों, प्रधान महालेखाकार, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालयों तथा कार्यकारी समिति और शासी निकाय को सादर प्रस्तुत है।

(रामावतार शर्मा)
R.Ac.S.
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
राजस्थान,जयपुर

परिशिष्ट-1

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

49/2019

दिनांक 26 जून, 2019 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (ग्रामीण विकास अनुभाग–3) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक एफ.11 (8) ग्रावि/नरेगा/सिविल सोसायटी/सा.अंके/2015/दिनांक 19.06.2019 पर विचार–विमर्श कर राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं एवं इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता हेतु स्वतंत्र पंजीकृत सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

डी. 49/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांकः 27 जून 2019

परिशिष्ट-2

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र/Registration Certificate

क्रमांक S.No. : COOP/2019/JAIPUR/104900 — दिनांक/Date 20-08-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT) जिला JAIPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नवम्बर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण–पत्र मेरे डिजिल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that SOCIETY FOR SOCIAL AUDIT, ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY (SSAAT), Rajasthan at district JAIPUR is registered under the 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)' This certificate is issued today under my digital signatures.

Digitally Signed by Murari Singh Jadawat
Designation : REGISTRAR
Date: 2019.08.20 16:11:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

रजिस्ट्रार सोसायटी Registrar Societies